Skill Development Programme
For Answer Writing
Current Affairs
Model Answer

DATE : 16-Sep-2018 **TIME : 01:15 pm**

मुख्य परीक्षा

प्र. अनुच्छेद-35A ''भारतीय एकता की भावना'' के खिलाफ है, क्योंकि इसने ''भारतीय नागरिकों के वर्ग के भीतर एक वर्ग'' बनाया है, जिसके लिए अभी और विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। परीक्षण कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)

Article 35A is against the "Feeling of Indian Unity" as it has created "a class within the class of Indian Citizens", there now needs more discussion to be done. Evaluate.

(250 Words, 15 Marks)

MODEL ANSWER

उत्तर- अनुच्छेद-35A कश्मीर की स्थिति के संबंध में एक हड़ताली हड्डी है तथा संविधान की किताबों में न मिलने वाला अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर की विधान सभा को ये अधिकार देता है कि वह 'स्थायी नागरिक' की परिभाषा तय कर सकें। संविधान के अनुच्छेद 35A को 14 मई, 1954 में राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के आदेश से संविधान में जगह मिली थी। संविधान सभा से लेकर संसद की किसी भी कार्यवाही में, कभी अनुच्छेद 35A को संविधान का हिस्सा बनाने के संदर्भ में किसी संविधान संशोधन या बिल लाने का जिक्र नहीं मिलता है।

सरकार ने धारा 370 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का इस्तेमाल अनुच्छेद 35A को लागू करने के लिए किया था। यह धारा 370 का ही हिस्सा है। इस धारा की वजह से कोई भी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू-कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है।

विपक्ष में तर्क-

1. यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सीमित करता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नगण्य तो करता ही है, साथ ही यह नैसर्गिक अधिकारों के प्रति भी विरोधाभासी चरित्रों वाला है।
2. इसे लागू करने की पद्धति भी अलोकतांत्रिक है।
3. विधि के शासन का प्रथम सिद्धांत है कि विधि के समक्ष देश का प्रत्येक व्यक्ति समान है और प्रत्येक व्यक्ति को विधि का समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिये।
4. विधि का समान संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु संविधान लिखित आश्वासन (अनुच्छेद 14) भी प्रदान करता है। लेकिन अनुच्छेद 35(A) भारत में ही दोहरी विधिक-व्यवस्था का निर्माण करता है।

पक्ष में तर्क-

1. यह राज्य सरकार को अपने राज्य के निवासियों के लिये विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है।
2. यह अन्य भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, केवल इस आधार पर इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।
3. इसके तहत राज्य विधायिका के अधिकार असीमित नहीं हैं और केवल रोजगार, संपत्ति, और छात्रवृत्ति के मामले में ही इन अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है।
4. घाटी में हालत अत्यंत ही संवेदनशील हैं और इन हालातों में इसे खत्म करना कश्मीरियों के भारत से जुड़ाव को और भी कमजोर करने का काम करेगा।

निष्कर्ष - अनुच्छेद 35A के संबंध में आगे बढ़ने के तरीके पर अपना विचार दें।

* * *